

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 296]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 13 जुलाई 2021—आषाढ़ 22, शक 1943

नगरीय विकास एवं आवास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 13 जुलाई 2021

अधि. क्र. 14-एफ-1-21-2013-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 5-क की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल नीचे दी गई अनुसूची (1) में यथा उल्लेखित क्षेत्रों को जो उक्त अधिनियम की धारा 5-क की उपधारा (1) द्वारा अपेक्षित किये गये, अनुसार मध्यप्रदेश राजपत्र में दिनांक 1 फरवरी 2019 को प्रकाशित किया जा चुका है, नगरपालिका क्षेत्र मलाजखण्ड, जिला बालाघाट की सीमा से अपवर्जित करते हैं, अर्थात्:—

“अनुसूची-एक”

नगरपालिका परिषद् मलाजखण्ड, जिला बालाघाट की सीमाओं से अपवर्जित किये गये ग्रामों का क्षेत्र निम्नानुसार होगा:—

क्रमांक	पूर्व में सम्मिलित क्षेत्र	अपवर्जित किये जाने वाले क्षेत्र का विवरण	तहसील	अपवर्जित किये जाने वाले वार्ड का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	वार्ड क्रमांक 25 वार्ड क्रमांक 26	क्षेत्र-बोरखेड़ा का संपूर्ण क्षेत्र क्षेत्र-छिन्दीटोला का संपूर्ण क्षेत्र क्षेत्र-सूजी का संपूर्ण क्षेत्र	बिरसा बिरसा बिरसा	522.734 611.284 316.241
कुल योग . .				1450.259

अनुसूची—2

उपरोक्त अनुसूची में दर्शाया गया क्षेत्र विलोपित/अपवर्जित होने के पश्चात् नगरपालिका परिषद् मलाजखण्ड, जिला बालाघाट की चतुर्सीमा निम्नानुसार होगी:—

उत्तर से पूर्व:—वार्ड क्रमांक 01 की सीमा से प्रारंभ होकर वार्ड क्रमांक 14, 15 एवं 16 की सीमा से होते हुये वार्ड क्रमांक 20 की सीमा तक.

पूर्व से दक्षिण:—वार्ड क्रमांक 20 की सीमा से प्रारंभ होकर वार्ड क्रमांक 24, 22 की सीमा से होते हुये वार्ड क्रमांक 23 की सीमा तक.

दक्षिण से पश्चिम:—वार्ड क्रमांक 23 की सीमा से प्रारंभ होकर वार्ड क्रमांक 12, 13 एवं 11 की सीमा से होते हुये वार्ड क्रमांक 10 की सीमा तक.

पश्चिम से उत्तर:—वार्ड क्रमांक 10 की सीमा से प्रारंभ होकर वार्ड क्रमांक 05, 04 एवं 02 की सीमा से होते हुये वार्ड क्रमांक 01 की सीमा तक.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
तरूण राठी, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 13 जुलाई 2021

अधि. क्र. एफ-1-21-2013-अठारह-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 14-एफ-1-21-2013-अठारह-3, दिनांक 13 जुलाई 2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
तरूण राठी, उपसचिव.

Bhopal, the 13th July 2021

Noti. No. 14-F-1-21-2013-XVIII-3.—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 5-A of the Madhya Pradesh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961), the Governor of Madhya Pradesh is pleased to exclude the areas as specified in schedule-I below from the limit of municipal area of Malajkhand, District-Balaghat, same having been previously published in the Madhya Pradesh Gazette dated 01 February 2019 as required by sub-section (1) of Section 5-A of the said act, Namely:—

SCHEDULE-I

The area of the villages excluded from Nagarpalika Malajkhand District Balaghat shall be as follows:—

S. No.	Name of the previous included area	Name of the excluded village area	Tehsil	Excluded Area (in hectares)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Ward No. 25	Area-Whole area of Borkheda	Birsa	522.734
	Ward No. 26	Area-Whole area of Chhinditola	Birsa	611.284
		Area-Whole area of Sooji	Birsa	316.241
Total . .				1450.259

SCHEDULE-II

The revised boundary of the Nagar Palika Malajkhand after excluding the area prescribed in SCHEDULE-I above area as follows:—

From North to East:—Starting from boundary of Ward No. 01 along with Ward No. 14, 15 and 16 to boundary of Ward No. 20.

From East to South:—Starting from boundary of Ward No. 20 along with Ward No. 24 and Ward No. 22 to boundary of Ward No. 23.

From South to West:—Starting from boundary of Ward No. 23 along with Ward No. 12, 13 and 11 to boundary of Ward No. 10.

From West to North:—Starting from boundary of Ward No. 10 along with Ward No. 05, 04 and 02 to boundary of Ward No. 01.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
TARUN RATHI, Dy. Secy.